झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रंमडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक : दिनांक:

सेवा में,

वन सरंक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषयः– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेषक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची का पत्रांक 1218 दिनांक 28.07.2017 एवं वन संरक्षक प्रादेषिक अंचल, हजारीबाग का ज्ञापांक 55 दिनांक 09.01.2018 तथा प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक शून्य दिनांक 09.01.2018।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 1218 दिनांक 28.07.2017 द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर पृच्छा की गई है। पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक शून्य दिनांक 09.01.2018 द्वारा समर्पित किया गया है। समर्पित निराकरण प्रतिवेदन के अनुसार पृच्छाओं के निराकरण की स्थिति निम्नवत प्रतिवेदित की जा रही है –

क्र.सं.	पृच्छा	अनुपालन
(1)	वन विभागीय पत्रांक 3105 दिनांक 27.07.2017 द्वारा पृछित बिन्दु संख्या ''ख'' को स्पष्ट किया जाय कि प्रस्तावित वन भूमि में Safty Zone की Water body के आस–पास तथा अन्य स्थानों पर कुल चौडाई वास्तम में कितनी है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पृच्छा के अनुपालनार्थ सूचित किया गया है कि Water body के आस–पास सेफ्टी जोन की चौड़ाई 15 मीटर है, तथा अन्य स्थान पर सेफ्टी जोन की चौड़ाई 7.5 मीटर है। इस संबंध में सेफ्टी जोन की चौडाई, सेफ्टी जोन प्लॉन पर दर्शाते हुए संलग्न किया गया है, जो समर्पित प्रतिवेदन के **अनुलग्नक –I** के रूप में संलग्न है।
(2)	Mining Plan के पेज 34 पर Excavated Area मात्र 330 मीटर दिया गया है, जबकि मूल प्रस्ताव के कंडिका–2 में Mining (Ultimate Pit) 12.14 ha. बताया गया है। इस विरोधाभाष को स्पष्ट	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पृच्छा के अनुपालनार्थ माईनिंग प्लान के पृष्ट संख्या 34 की छाया प्रति **अनुलग्नक –II** के रूप संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि The Surface Level of the Excavated area would be 330 metre after end of life of mine. This means that, Depth of the

	किया जाय।	Quarry Floor level after 10^{th} year of mining would be 330 metre in terms of Reduce Level with refrence to Mean Sea Level and size of quarry area (Ultimate Pit) would be 12.14 ha .
(3)	यदि यह मान भी लिया जाय कि सम्पूर्ण 12.14 हे0 में खनन कार्य किया जायेगा तो जिस प्रकार 2017–18 से 2027–28 (10 वर्षो) में 6.25 मिलियान क्युबिक मीटर स्टोन के उत्पादन का Schedule दिया गया है। उससे लगभग 50 मीटर गहरा vertical गढ़ा पूरे क्षेत्र में वन जायगा। इतने गहरे गढे को Reclaime किया जाना किस प्रकार संभव हो पायगा, ताकि Top Soil के साथ वृक्षारोपण हो सके, इसकी विवरणी दी जाय।	पृच्छा के अनुपालनार्थ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट अन्तर्गत 6.25 million Cub. Mt. Stone का खुदाई किया जायेगा जो खुली खदान प्रक्रिया के तहत Benches of 3 meter width & 3 meter height at an ultimate Pit Slope of 45^0 . Hence , vertical Mine Pit will never be formed. जहां तक माईनिंग क्षेत्र को रिक्लेम करने का प्रश्न है Reclamation and Afforestation वर्ष 2028–29 से प्रारंभ करते हुए 2031–32 तक पूर्ण करने संबंधी योजना प्राक्कलन के साथ तैयार कर **अनुलग्नक III** के रूप में संलग्न किया गया है। साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि Mineral Conservation & Development Rules 1988 (जिसकी प्रति **अनुलग्नक IV** के रूप में संलग्न है) के नियम 23 (C) के तहत Final Mine Closure Plan , Mine closure के एक वर्ष के पूर्व झारखण्ड सरकार से अनुमोदित करवाना पडता है जिसमें Reclamation and Afforestation के तहत किये गये कार्यो को योजना में सम्मिलित करते हुए कार्यान्वित किया जाता है।
(4)	प्रयोक्ता अभिकरण ने एक जगह उल्लेख किया है कि Top Soil का प्रयोग Road Maintainance हेतु किया जायगा जबकि दूसरे जगह उल्लेख किया कि Top Soil को वृक्षारोपण के लिए गढ़ा भरा जायगा। कृपया इसे स्पष्ट किया जाय।	करमा माईनिंग स्टोन प्रोजेक्ट हेतु आवेदित क्षेत्र पथरीला ईलाका है जहां Top soil खुदाई के दौरान काफी कम मात्रा में निकलेगा । खुदाई के दौरान निकाले गये Top soil को सड़क पर फैला दिया जायेगा । खुदाई के पश्चात Reclamation हेतु Top soil आस–पास के क्षेत्र से ले कर फैलाया जायेगा तथा वृक्षारोपण किया जायेगा ।
(5)	माईनिंग प्लान के पेज 54 टेबुल–31 में खनन की औसत गहराई 60 मी0 दी गयी	पृच्छा के अनुपालनार्थ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि– Ground water table of the proposed

	है जबकि पेज 42 पर भू–जल स्तर (Water Table) अधिकतम 65 मी० दी गई है। इस स्थिति में इतनी गराई तक कहाँ तक उचित होगा। स्पष्ट किया जाय।	Karma Stone mine is 65 meter depth from the existing surface. Refer to Conceptual Plan & Section of approved Mining Plan (**अनुलग्नक V के रूप में संलग्न है**), the floor level of quarry shall be 330 meter depth at the end of life of miee which is 5 meter up from Ground Water table. Since the Mining shall be done by Benching system of Box Cut method, so the depth of **quarry floor level shall never be proceed** beyond 330 meter of depth. Mining shall be done by deploying Heavy Earth Moving Equipment, therefore, 60 meter average depth as been considered.
(6)	प्रस्तावित स्थान के आस–पास अवैध माईनिंग प्रतिवेदित है। इस हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाती रही है।	चौपारण वन प्रक्षेत्र के मौजा करमा थाना चौपारण थाना संख्या 289 के प्लौट संख्या 771 (जो विषयगत प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित है) 767, 766, 768 एवं 769 में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा निर्गत खनन पट्टा को रद्ध करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2182 दिनांक 07.7.2014, 1454 दिनांक 11.03.2016, 3064 दिनांक 04.06.2016 एवं 1748 दिनांक 30. 03.2016 द्वारा जिला खनन पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है तथा प्रति उपायुक्त, हजारीबाग को भी दी गई है, किन्तु निर्गत खनन पट्टा रद्ध होने की सूचना इस कार्यालय को अब तक अप्राप्त है, भेजे गये पत्रों की छाया प्रति **अनुलग्नक VI** के रूप में संलग्न है। चौपारण प्रक्षेत्र के मौजा करमा वन में अवैध पत्थर खनन के मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के तहत वन वाद संख्या 108/2016, 108/2016, 388/2016 एवं 609/2016 दर्ज किया गया है । उक्त

		मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जन संवाद केन्द्र, झारखण्ड सरकार से ऑन लाईन परिवाद पत्र भी दायर किया गया है जिसका Grivance No. 2016-21772 है । परिवाद पत्र द्वारा यह पूछा गया है कि मौजा करमा प्लौट संख्या 771, 772 एवं अन्य में लोग द्वारा कब्जा कर अवैध तरीके से उत्खनन कर पत्थर बेचा जा रहा है। उक्त मामले से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 5865 दिनांक 22.10.2016 द्वारा प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार रांची को प्रतिवेदित किया गया है, भेजे गये प्रतिवेदन की छाया प्रति **अनुलग्नक VII** के रूप में संलग्न है।

अतः प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की सात–सात प्रतियॉ इस पत्र के साथ अत्र–सह–संलग्न कर यथोचित कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,
ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक : दिनांक :

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची को उनके 1218 दिनांक 28.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक : दिनांक :

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक : 285 दिनांक : 19/1/18

प्रतिलिपि– श्री रामचन्द्र मेहता, मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी, ग्राम –बिगहा, पो0–फुलबेरिया, थाना– नवलसराई, जिला– कोडरमा, झारखण्ड, पिन– 825418 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/18
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

19/1/18

dc